CNEWS मिटी चीफ
वर्ष-15, अंक-206
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

अवकाश सूचना

दिवाली के अवसर पर कार्यालय में शुक्रवार को अवकाश रहेगा। अतः अगला अंक शनिवार को प्रकाशित होगा। -संपादक

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

बिहार मिटी चीफ

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।

बिहार, गुरुवार, 31 अक्टूबर 2024

IAS संजीव हंस को नहीं मिली राहत

पटना HC ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने से किया इंकार

पटना. पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ दर्ज विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या 5/24 के कार्रवाई पर दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने विशेष निगरानी इकाई को अपना आपत्ति दाखिल करने का आदेश दिया। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने इस मामलें पर सुनवाई की।

वहीं, न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल के एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए एसवीयू को आपत्ति दाखिल करने का आदेश दिया है। आवेदक की ओर से अधिवक्ता सूरज समदर्शी ने एसवीयू थाने में दर्ज केस को रद्द

करने की गुहार कोर्ट से लगाई। उनका कहना था कि हाल के दिनों में हाईकोर्ट ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में दर्ज केस को निरस्त कर दिया है। इस केस के दौरान ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच की। उनका कहना था कि बगैर तथ्यों की पुष्टि किए ईडी की जानकारी पर एसवीयू ने केस दर्ज कर लिया।

उन्होंने फिलहाल इस केस में अंतरिम संरक्षण देने की गुहार लगाई। वहीं विशेष एसवीयू के वकील राणा विक्रम सिंह और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता सुमन कुमार झा ने अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए अपना जवाब- दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 13 नवंबर तय की।

आवेदक की ओर से अधिवक्ता सूरज समदर्शी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 12, 13 (1) (ए), 13 (1) (बी) और 13 (2) के तहत और भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 और 318 (4) के तहत विशेष निगरानी इकाई थाना में दर्ज कांड संख्या 5/24 को रद्द करने का अनुरोध कोर्ट से किया। उनका कहना था कि हाल के दिनों में हाईकोर्ट ने बलात्कर सहित अन्य धाराओं में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। इस केस के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच की। प्रवर्तन निदेशालय पटना जोनल कार्यालय ने अपने पत्र संख्या ईसीआईआर/पीटीजेडओ/04/2024/714 दिनांक 28.08.2024 के माध्यम से विशेष सतर्कता इकाई को कुछ जानकारी साझा की।

उस जानकारी के आधार पर विशेष निगरानी इकाई ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 61, 318 (4) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7, 12, 13 (1) (ए), 13 (1) (बी) और 13 (2) के तहत दिनांक 14.09.2024 को विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या 5/2024 दर्ज की। उनका कहना था कि बगैर तथ्यों की पुष्टि किए बिना और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दी गई जानकारी में कोई प्रारंभिक जांच किए बिना विशेष निगरानी इकाई ने केस दर्ज कर लिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पूर्व में एक केस दर्ज होने के कारण यह केस दर्ज करना कानून गलत है।उन्होंने फिलहाल इस केस में अंतरिम संरक्षण देने का अनुरोध किया।

दूसरी पत्नी के चक्कर में हैवान बना पिता

ससुराल से अपने ही मासूम बेटे को अगवा कर मौत के घाट उतारा

सीतामढ़ी. सीतामढ़ी में दूसरी पत्नी के चक्कर में एक कलयुगी पिता ने अपने ही बेटे की जान ले ली। आरोपी ने 13 माह के मासूम बेटे की हत्या कर शव को पोखर में फेंक दिया। मासूम का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है।

दरअसल, पूरी घटना परसौनी थाना क्षेत्र के ढांगर गांव की है, जहां सोनफी पासवान की बेटी उषा देवी के पति मिठ्ठू पासवान ने मंगलवार की देर रात अपने 13 माह के बेटे मंजीत की हत्या कर दी। आरोपी पिता मिठ्ठू पासवान शिवहर के श्यामपुर भटहा थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर का रहने वाला है।

आरोपी की पत्नी उषा देवी पिछले कुछ महीने से बच्चों के साथ ढांगर गांव स्थित अपने मायका में रह रही है। बुधवार को बच्चे का शव देमा अस्पताल के पीछे स्थित एक पोखर से बरामद किया गया।

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई।

मृतक की मां उषा देवी और चाचा नागेन्द्र पासवान ने बताया कि आरोपी मिठ्ठू पासवान ने तीन माह पूर्व एक महिला से दूसरी शादी कर ली थी। वह अपने बच्चों के साथ अक्सर मारपीट करता था और खाना तथा बच्चों के इलाज वैगरह के लिए एक पैसा भी नही देता था। मजबूरन शिवहर महिला थाना में केस दर्ज करबाना पड़ा। उसने केश उठाने को लेकर अक्सर दबाव देता था।

आरोपी ने पहली पत्नी उषा देवी और उसके बच्चों को आखिरकार घर से निकाल दिया। तब से उषा देवी अपने मायके में रह रही है। उषा देवी ने बताया कि मंगलवार की रात को मिठ्ठू ने फोन कर गाली गलौज कर पहले दर्ज केस उठाने की धमकी दी, फिर बच्चे को वापस मांगने लगा। इनकार करने पर वह रात को ही ढांगर पहुंचा और मां-बेटे की हत्या करने की धमकी दी। देर रात सोये अवस्था में बच्चे को उठाकर ले गया और उसकी हत्या कर दी।

सुबह जब नींद खुली तो 19 महीने का बेटा गायब मिला। जिसे तलाश करते हुए महिला जहागीपुर स्थित ससुराल के लिए निकल पड़ी। इसी बीच घास काटने के दौरान किसी ग्रामीण की नजर बच्चे के शव पर पड़ी। जानकारी मिलने के बाद महिला मौके पर पहुंची तो अपने बेटे का शव देखकर दंग रह गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

जन सुराज को मिला चुनाव चिह्न

स्कूल बैग सिंबल पर लड़ेंगे प्रशांत किशोर के चारों उम्मीदवार

पटना. पटना निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए जन सुराज पार्टी को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया है. पार्टी के सभी प्रत्याशियों को स्कूल का बस्ता (बैग) आवंटित किया गया है. बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए जन सुराज को मिले इसी चिह्न पर चारों प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे. पार्टी ने किरण सिंह को तरारी, मोहम्मद अमजद को बेलागंज से, जितेंद्र पासवान को इमामगंज से और सुशील सिंह कुशवाहा को रामगढ़ से उम्मीदवार बनाया है.

बिहार में बदलाव महत्वपूर्ण है- प्रशांत किशोर

इससे पहले भोजपुर में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा था कि चुनाव आयोग जो भी चुनाव चिह्न आवंटित करेगा, हम उसे स्वीकार करेंगे. चिह्न महत्वपूर्ण नहीं है, बिहार में बदलाव महत्वपूर्ण है, और एक अछे उम्मीदवार का चुनाव महत्वपूर्ण है, जो भी जन सुराज के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग आज जो भी चिन्ह देगा, हम उसी के साथ जनता के बीच पहुंचेंगे. आज ही प्रशांत किशोर ने रामगढ़ में विधानसभा उपचुनाव को लेकर लोगों को उनके अधिकार और उनके वोट की ताकत के बारे में जागरूक किया है. प्रशांत किशोर ने बुधवार को दुर्गावती रामगढ़ और नुआंव प्रखंड का दौरा किया. प्रशांत किशोर ने आधा दर्जन जनसभाओं को संबोधित कर सरकार पर निशाना साधा. प्रशांत किशोर ने यज्ञशाला मैदान (कल्याणपुर) दुर्गावती, एसएन सिंह इंग्लिश स्कूल (रामगढ़), बड्डा मैदान अकोल्ही, नुआंव, मध्य विद्यालय मैदान सदुल्लहपुर, दरवान और रामगढ़ के सिसौरा गांव की सभाओं में लोगों से संवाद किया.

इसी साल बनी है जन सुराज पार्टी

बता दें कि पिछले दो वर्षों तक बिहार में पदयात्रा करने के बाद पीके ने इसी साल 2 अक्टूबर को जन सुराज को राजनीतिक पार्टी बना दिया है, जिसका कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी मनोज भारती को बनाया है, जो एक काबिल व्यक्ति हैं. वे अगले मार्च 2025 तक ही कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे उसके बाद संगठनात्मक चुनाव के बाद वे नियमित हो जाएंगे. जन सुराज में अध्यक्ष का कार्यकाल एक साल का होगा. यानी उपचुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 भी जन सुराज मनोज भारती की अध्यक्षता में लड़ेगा.

सीएम नीतीश कुमार ने राय वासियों को दी नई सुविधा

हाईवे गस्ती बिहार 112 की शुरुआत

पटना. बिहार वासियों को सीएम नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी सौगात और नई सुविधा दी. 30 अक्टूबर, 2024 दिन बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने पटना में हाईवे गस्ती बिहार 112 की शुरुआत की. अपनी सरकारी आवास से मुख्यमंत्री ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. राय के 38 जिले के लिए ये गाड़ियां मुहैया कराई गई हैं. इस गाड़ी में स्पीड गन स्टेचर जैसी सुविधा मौजूद, हाईवे पर दुर्घटना के दौरान भी गाड़ी यात्रियों को प्राथमिक उपचार में सहायता देगी. स्पीड गन से ओवर स्पीडिंग गाड़ियों पर फाइन भी किया जाएगा. हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी की शुरुआत होने पर डीजीपी

आलोक राज ने कहा कि हाईवे पर पेट्रोलिंग के साथ लोगों को सुविधा भी दी जाएगी. इस गाड़ी से हाई स्पीड गाड़ी चलाने वाले नियम तोड़ने वाले लोगों पर फाइन भी होगा. यह गाड़ी लोगों को सुविधा सुरक्षा और सेवा सभी चीज देगी. उन्होंने कहा कि दिवाली और छठ को लेकर पुलिस बल की तैनाती बड़े पैमाने पर की गई है. पुलिस के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरा भी लोगों पर नजर रखेगी. पुलिस प्रशासन की सोशल मीडिया पर विशेष नजर होगी. डीजीपी आलोक राज ने कहा कि हर्ष फायरिंग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी हर्ष फायरिंग करेंगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि मूर्ति विसर्जन हो या दीपावली के मौके पर हर्ष फायरिंग अगर हुई तो सख्त कार्रवाई होगी. दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के शेड्यूल को लक्ष्मी पूजा मूर्ति विसर्जन में लागू किया गया है. मूर्ति विसर्जन के दौरान हर मूर्ति को एस्कॉर्ट पुलिस करेगी.

बिहार CM नीतीश कुमार ने दी देशवासियों को बधाई

कहा, सद्भाव और उल्लास के साथ मनाएं दीपावली

पटना. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार (30 अक्टूबर) को लोगों को प्रकाश पर्व दीपावली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रकाश पर्व दीपावली की प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि दीपावली को पारस्परिक सौहार्द्र, सद्भाव और उल्लास के साथ मनाएं.

सीएम ने प्रदेशवासियों को क्या दिया संदेश

अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रकाश पर्व दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अछाई की विजय का प्रतीक है. यह अंधेरे से उजाले का संकल्प एवं प्रकाश का महापर्व है. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे प्रकाश पर्व दीपावली को पारस्परिक सौहार्द्र, सद्भाव और उल्लास के साथ मनाएं.

बता दें कि दिवाली का त्यौहार हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही शुभ

माना जाता है. दिवाली के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विधान है. मान्यता है कि विधि-विधान से पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है और जातक और उसके परिवार के सदस्यों पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है.

बुराई पर अछाई की विजय का प्रतीक दीपावली

वहीं दिवाली बुराई पर अछाई की विजय का प्रतीक है. दिवाली का त्यौहार भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की याद में मनाया जाता है. भगवान के2 आगमन पर अयोध्या नगरी को खूबसूरती से सजाया गया था और नागरिकों ने दीप जलाकर उनका स्वागत बड़े धूमधाम से किया था. इसी खुशी में हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और अपने घरों की साफ सफाई करके घरों दो दीप और लाइट से सजा देते हैं.

लॉरेंस बिश्नोई से धमकी पर पप्पू यादव की पत्नी बोलीं

कहा- मेरा उनसे कोई लेना-देना नहीं, हम दोनों अलग-अलग रहे हैं, विचारधारा भी अलग है

पटना. पप्पू यादव इन दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं. इस बीच उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने बड़ी बात कही है. निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से खतरे का हवाला दिए जाने पर कांग्रेस सांसद और पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने कहा, मेरा और पप्पू यादव का राजनीतिक जीवन अलग-अलग रहा है. हमारे बीच बहुत मतभेद है और हम पिछले डेढ़-दो सालों से अलग-अलग रह रहे हैं. उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उससे मेरा और मेरे बचों का कोई संबंध नहीं है.

पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से धमकी भरे कॉल के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है. 21 अक्टूबर को लिखे गए इस पत्र को सोमवार को सार्वजनिक किया गया, जब मीडिया के एक वर्ग ने बिश्नोई के एक कथित सहयोगी से दुबई के नंबर से की गई कॉल की एक ऑडियो क्लिप भी चलाई.

ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला-रंजीत रंजन

सांसद पप्पू यादव की पत्नी ने साफ तौर पर कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है. जो चल रहा है ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार का मामला है इसे सरकार को देखना चाहिए. उसका मेरा या मेरे बचों का कोई लेना देना नहीं है. अब सवाल ये है इस मुश्किल की घड़ी में पत्नी रंजीता रंजन अपने पति और सांसद पप्पू यादव के बयान से दामन क्यों झाड़ रही हैं. आखिर उनका उनके पति से मतभेद क्यों चल रहा है